1-7/23

वकील उभय पक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय से एक-एक कर तीन मरतबा आवाज पुकारवाई गई लेकिन कोई उप. नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी को तलबी हेतु पूर्व आदेशिका के अनुसार पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद तलबी पेश नहीं की गई है। न्यायालय आदेश 9 नियम 3 व 5 CPC में प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित समझता है। अतः प्रा. पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली मौसल शुमार होकर बाद तामील इकील वापिस वसूल हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालापाड़